

\*क्रैक डाउन\*

\*#####\*

\*प्रेस नोट जनपद बलिया\*

\*दिनांक-15.02.2026\*

\*श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रसड़ा व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को मिली सफलता (हत्या के 2 नफर वांछित व 02 अन्य बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार)।\*

\*इसी क्रम में हत्या से सम्बन्धित 01 अन्य वांछित अभियुक्त उमाकांत पाण्डेय को भी किया गया गिरफ्तार।\*

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.02.2026 को समय 03.50 बजे नवापुरा महतवार जाने वाले मार्ग के पास थाना रसड़ा पर चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध मोटर साइकिल पर जा रहे व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया, परन्तु मोटर साइकिल चालक बिना रुके मोटर साइकिलों को पीछे मुड़ाकर भागने का प्रयास करने लगे, जिनका थाना रसड़ा पुलिस व एसओजी टीम द्वारा पीछा किया गया मोटर साइकिलों पर सवार बदमाशों द्वारा अपने को पुलिस से घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में दो बदमाश 1. सुन्दरम सिंह उर्फ सत्या सिंह पुत्र कमलेश सिंह निवासी ग्राम संवरा थाना रसड़ा जनपद बलिया उम्र करीब 21 वर्ष बताया जिसके बाएं पैर में गोली लगी है। 2. राज सिंह उर्फ राजा सिंह पुत्र राकेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह निवासी ग्राम संवरा थाना रसड़ा जनपद बलिया उम्र करीब 24 वर्ष के दाहिने पैर में गोली लगी है तथा मोके से भाग रहे बदमाशों 3. अनुज सिंह पुत्र राजेश निवासी बडी पकवल थाना सराय लखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष 4. अजय खरवार पुत्र मुन्नी लाल खरवार निवासी चकिया थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 18 वर्ष को पुलिस पार्टी द्वारा पीछा करके पकड़ा गया पूछताछ पर पकड़े गये बदमाशों में सुंदरम सिंह उर्फ सत्या तथा राज सिंह द्वारा अपने एक अन्य साथी उमाकांत पांडे के साथ मिलकर दिनांक 14.02.2026 को दिन में संवरा शराब ठेके के पास एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने की घटना कारित की गयी थी। जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-46/2026 धारा-103(1), 3(5) बीएनएस व 3(2)V एससीएसटी एक्ट

पंजीकृत है। घायल बदमाश 1. सुन्दरम सिंह उर्फ सत्या सिंह पुत्र कमलेश सिंह निवासी ग्राम संवरा थाना रसडा जनपद बलिया उम्र करीब 21 वर्ष बताया 2. राज सिंह उर्फ राजा सिंह पुत्र राकेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह निवासी ग्राम संवरा थाना रसडा जनपद बलिया का उपचार कराने हेतु अस्पताल ले जाया गया। पकड़े गये बदमाश के कब्जे से 01 अदद तमंचा नाजायज .315 बोर मय 1 अदद खोखा कारतूस मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 अदद तमंचा .303 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस.303 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस.303 बोर दो अदद मोटर साइकिल तथा हत्या में प्रयुक्त एक अदद चाकू बरामद हुआ है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 47/2026 धारा 109 BNS व 3/25, 7/25, 9(1)/25, 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। तथा बाद उपचार थाना स्थानीय द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक की गई।

इसी क्रम में थाना रसडा पुलिस टीम के उ0नि0 अरुण कुमार सिंह मय हमराह/टीम के साथ देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित/वारण्टी सम्बन्धित मुकदमा उपरोक्त में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित \*अभियुक्त 1.उमाकांत पांडे उर्फ चिकू पुत्र त्रिलोकी पाण्डेय निवासी संवरा थाना रसडा जनपद बलिया उम्र 24 वर्ष\* को रामनगर पुलिस से समय 14.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कुल 05 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय द्वारा विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

**\*पंजीकृत अभियोग\***

1. मु0अ0सं0 47/2026 धारा 109 BNS व 3/25, 7/25, 9(1)/25, 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रसडा जनपद बलिया।

**\*सम्बन्धित अभियोग-\***

1. मु0अ0सं0-46/2026 धारा-103(1), 3(5) बीएनएस व 3(2)V एससीएसटी एक्ट थाना रसडा जनपद बलिया।

**\*गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व अपराधिक इतिहास\***

1. सुन्दरम सिंह उर्फ सत्या सिंह पुत्र कमलेश सिंह निवासी ग्राम संवरा थाना रसडा जनपद बलिया उम्र करीब 22 वर्ष (बाएं पैर में गोली लगने से)

2. राज सिंह उर्फ राजा सिंह पुत्र राकेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह निवासी ग्राम संवरा थाना रसड़ा जनपद बलिया उम्र करीब 24 वर्ष ।(दाहिने पैर में गोली लगने से)
3. अनुज सिंह पुत्र राजेश निवासी बडी बकवल थाना सराय लखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष (मुठभेड़ में)
4. अजय खरवार पुत्र मुन्नी लाल खरवार निवासी चकिया थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष (मुठभेड़ में)
5. उमाकान्त उर्फ चिकू पाण्डेय पुत्र त्रिलोकी पाण्डेय निवासी ग्राम संवरा थाना रसड़ा जनपद बलिया उम्र करीब 24 वर्ष।

**\*अभि० सुन्दरम सिंह का अपराधिक इतिहास -\***

1. मु०अ०सं० 45/2022 धारा 308,323,504,506 IPC थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
2. मु०अ०सं० 157/2022 धारा 323,504,506 IPC व 3(1)(द),3(2)(va) SC/ST Act थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
3. मु०अ०सं० 222/2023 धारा 323,504,506 IPC थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
4. मु०अ०सं० 493/2023 धारा 307,504,506 IPC थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
5. मु०अ०सं० 449/2023 धारा 505,507 IPC व 66 IT Act थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
6. मु०अ०सं० 198/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
7. मु०अ०सं० 323/2024 धारा 147,323,504,506 IPC व 3(1)(घ),3(1)(द),3(2)(va) SC/ST Act थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
8. मु०अ०सं० 329/2024 धारा 323,324,504,506 IPC व 3(1)(घ),3(1)(द),3(2)(va) SC/ST Act थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
9. मु०अ०सं० 19/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
10. मु०अ०सं० 190/2025 धारा 115(2),351(3),352 BNS थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
11. मु०अ०सं० 46/2026 धारा 103(1),3(5) BNS व 3(2)V SC/ST Act थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
12. मु०अ०सं० 47/2026 धारा 109 BNS व 3/25, 7/25, 9(1)/25, 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रसड़ा जनपद बलिया ।

**\*अभि० राज सिंह उर्फ राजा का अपराधिक इतिहास -\***

1. मु०अ०सं० 129/2023 धारा 323,504,506 IPC थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
2. मु०अ०सं० 165/2023 धारा 323,504,506 IPC थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
3. मु०अ०सं० 285/2023 धारा 323,504,506 IPC थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
4. मु०अ०सं० 493/2023 धारा 307,504,506 IPC व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
5. मु०अ०सं० 462/2024 धारा 131,351(2),352 BNS थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
6. मु०अ०सं० 338/2025 धारा 351(3),352,74 BNS व 9g/10 पाक्सो एक्ट थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
7. मु०अ०सं० 46/2026 धारा 103(1),3(5) BNS व 3(2)V SC/ST Act थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
8. मु०अ०सं० 47/2026 धारा 109 BNS व 3/25, 7/25, 9(1)/25 थाना रसड़ा जनपद बलिया ।

**\*अभि० उमाकान्त उर्फ चिकू पाण्डेय का अपराधिक इतिहास -\***

मु०अ०सं० 285/2023 धारा 323,504,506 IPC थाना रसड़ा जनपद बलिया ।

1. मु०अ०सं० 323/2024 धारा 147,323,504,506 IPC व 3(1)(घ),3(1)(द),3(2)(va) SC/ST Act थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
2. मु०अ०सं० 329/2024 धारा 323,324,504,506 IPC व 3(1)(घ),3(1)(द),3(2)(va) SC/ST Act थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
3. मु०अ०सं० 142/2025 धारा 115(2),324(2),333,351(3),352 BNS व 3(1)(घ),3(1)(द),3(2)(va) SC/ST Act थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
4. मु०अ०सं० 143/2025 धारा 115(2),351(3),352 BNS व 3(1)(घ),3(1)(द),3(2)(va) SC/ST Act थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
5. मु०अ०सं० 46/2026 धारा 103(1),3(5) BNS व 3(2)V SC/ST Act थाना रसड़ा जनपद बलिया ।

**\*अभि० अनुज सिंह का अपराधिक इतिहास -\***

1. मु०अ०सं० 254/2016 धारा 304A IPC व 30 आर्म्स एक्ट थाना सराय लखन्सी जनपद मऊ ।
2. मु०अ०सं० 355/2022 धारा 147,148,149,308,330,325 IPC थाना सराय लखन्सी जनपद मऊ ।
3. मु०अ०सं० 227/2025 धारा 326e,351(2),352 BNS थाना सराय लखन्सी जनपद मऊ ।
4. मु०अ०सं० 47/2026 धारा 109 BNS व 3/25, 7/25, 9(1)/25 थाना रसड़ा जनपद बलिया ।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -\***

1. प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र बहादुर सिंह थाना रसड़ा बलिया।
2. निरीक्षक श्री विश्वनाथ यादव प्रभारी सर्विलांस सेल बलिया।
3. उ०नि० श्री अरुण कुमार सिंह थाना रसड़ा बलिया।
4. उ०नि० श्री राहुल राय थाना रसड़ा बलिया।
5. मुख्य आरक्षी दिलीप पाठक स्वाट टीम बलिया
6. मुख्य आरक्षी श्री मंगला प्रसाद सिंह स्वाट टीम बलिया
7. मुख्य आरक्षी रोहित कुमार सर्विलांस सेल बलिया।
8. मुख्य आरक्षी अमरदेव यादव स्वाट टीम बलिया
9. मुख्य आरक्षी देवेन्द्र सरोज सर्विलांस सेल बलिया।
10. आरक्षी सूर्यप्रकाश स्वाट टीम बलिया
11. आरक्षी पंकज सिंह स्वाट टीम बलिया
12. आरक्षी मनोज कुमार सर्विलांस सेल बलिया।
13. का० श्यामजी कुमार थाना रसड़ा बलिया।
14. का० पवन चौबे थाना रसड़ा बलिया।
15. का० शैलेन्द्र कुमार यादव थाना रसड़ा बलिया।
16. का० दिनेश यादव थाना रसड़ा बलिया।

\*सोशल मीडिया सेल\*

\*बलिया पुलिसा\*



